

यू० एस० तोमर

कुल सचिव



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

आईईटी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-२२

दूरभाष: ०५२२-२७३२१९३ फैक्स: ०५२२-२७३८

पत्रांक गौ०बु०प्रा०वि००/कुस०का०/२०११/६२३६६-८

दिनांक ७-३-११

मता मे.

निदशक

के आई.पी.एम. कालेज आफ मैनेजमेंट,
गोरखपुर।

विषय: मध्या वो शैक्षिक सत्र २०१०-११ हेतु सम्बद्धता के सम्बंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझ यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या २१५९/सोलह-१-२०१०-१३/(१३)/२०१० दि ११ अगस्त २०१० के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्यपा द्वारा अपनी बैठक दिनांक ०४ दिसम्बर २०१० में के आई.पी.एम. कालेज आफ मैनेजमेंट, गोरखपुर को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम १२० सीट की प्र क्षमता के साथ स्वीकृत पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१०-११ हेतु दिनांक १-०७-२०१० से सम्बद्धता की रवां पदान की गयी है।

१. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/श्रृत्क के भव में भवय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी तथा शुल्क विधारण समिति द्वारा विधारित नियमानु अन्वय फीस ही प्रवृश्चित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपल करावेंगी अन्वय सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
२. मध्या वो सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की उ शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदल सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
३. सत्रां से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यान्वय शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानु उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
४. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्वय संस्था के व्यरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
५. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वर निरस्त हो जायेगा।
६. संस्था में पार्टी गयी झलियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् २०११-१ की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेंगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
७. मध्या का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी राशि आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित भानकों के सापेक्ष कोई कमियां नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
८. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जॉर्डी जाती है अथवा कोई नोटिस आरोपी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी। संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के तिराये) अधिनियम २००६ का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उपर्युक्त भर्ता के अनुपालन में विचलन अथवा मध्या के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पार्टी जाने की स्थिति में संभव ही सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

पृष्ठांक संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभूमि, लखनऊ।

२. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

३. अध्यक्ष, आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ।

४. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली

Formulated
for Central
Government

Dated
18/3/11

भवदीय

(यू.एम.तामर)
कुलसचिव

(यू.एम.तामर)

कुलसचिव

(यू.एम.तामर)

कुलसचिव